## ग्रामीण कार्य विभाग
## बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना

पत्रांकः– BRRDA(HQ)-PMGSY-39/2018-Part-I – 9322 पटना/दिनांकः– 05/12/2022

प्रेषक,

संजय दूबे, भा०प्र०से०
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
सभी कार्य प्रमण्डल,
ग्रामीण कार्य विभाग।

**विषय :प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत योजनाओं में GST दर 12% से बढ़ाकर 18% करने के संबंध में।**

**प्रसंग : ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्रांक**– P-17025/17/2015-RC (341396), dt-12.10.2022.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त मत्रालय, भारत सरकार का अधिसूचना सं0–03/2022–Central Tax (Rate), dt-13.07.2022 एवं 11/2017–Central Tax (Rate), dt-28.06.2017 का संदर्भ देते हुए सूचित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए पूर्व से उल्लेखित अधिसूचना सं0–11/2017–Central Tax (Rate), dt-28.06.2017 के क्रमाक– 3(iv) में CGST का दर 6% को बढाकर अधिसूचना सं0–03/2022–Central Tax (Rate), dt-13.07.2022 के क्रमाक– 3(xii) के माध्यम से 9% कर दिया गया है। उक्त के आलोक में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत योजनाओं में दिनांक–18.07.2022 से GST दर को 12% से बढाकर 18% कर दिया गया है (सुलभ संदर्भ हेतु प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न)।

कृपया प्रासंगिक पत्र के आलोक में अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

विश्वासभाजन

2/12/2022

(संजय दूबे)
अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी –सह–सचिव, ब्राडा